न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 38 / 2019

1 बाली देवी पत्नी चन्द्राराम।
2 नेमीचन्द पुत्र चन्द्राराम।
3 शंकरलाल पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान प्रसाद पुत्र भागीरथ।
2 सांवरमल पुत्र भागीरथ।
3 रामस्वरूप पुत्र भागीरथ।
4 श्रीमती नारायणी देवी पत्नी भागीरथ।
5 दुर्गा प्रसाद पुत्र चन्द्राराम।
6 मनोज पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजियक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.06.2019 प्रकरण संख्या 59/2016 अन्तर्गत आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी हनुमान प्रसाद बनाम बाली देवी न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल ढ़ाका, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2016 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 490,491,538,539,540,543,544,545,549, 547,548,550,551,552,554,555,556,557,558,559 तन ग्राम सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ़ के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब व शपथ पत्र पर कोई विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है। विवादित भूमियों का पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन हो रखा है एवं प्रथक–प्रथक मकानात बनाकर निवास कर रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवेदनकर्ता के कथनों से विवादित भूमि सहखातेदारी व काश्तकारी की होना एवं पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन नही होना प्रथम दृष्टया प्रकट है। विभाजन से पूर्व विवादित भूमि के हिस्से विशेष पर किसी पक्षकार द्वारा निर्माण किये जाने से पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवेदनकर्ता के कथनों से विवादित भूमि सहखातेदारी व काश्तकारी की होना एवं पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन नही होना प्रथम दृष्टया प्रकट है। विभाजन से पूर्व विवादित भूमि के हिस्से विशेष पर किसी पक्षकार द्वारा निर्माण किये जाने से पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर